



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

[ Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr\_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक: एफ.4(परावि/आप्र/डीपीसी/15/370

जयपुर, दिनांक: 6/4/2015

::आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला झालावाड के लिए जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	निर्वाचित/नामित
1.	श्रीमती टीना कुमारी	अध्यक्ष	-
2.	श्रीमती डॉ० अरुणा मीणा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्री फूलचन्द	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
4.	श्री माणक चन्द मेघवाल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
5.	श्रीमती रेखा अग्रवाल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
6.	सुश्री दुर्गा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
7.	श्रीमती लाली बाई	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्री महेन्द्र सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्री गोपाल गुर्जर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्रीमती राधा बाई	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
11.	श्री संजय वर्मा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
12.	श्री लक्ष्मीनारायण	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
13.	सुश्री बबीता चौहान	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
14.	श्रीमती पार्वती बाई	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
15.	श्रीमती सीताकुमारी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
16.	श्री भागचन्द दांगी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
17.	श्रीमती धन्नी बाई	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
18.	श्री नवलकिशोर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
19.	श्री बालमुकन्द	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)
20.	श्री निर्मल पाटनी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)
21.	श्री जयदीप सिंह झाला	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)

जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य हैं। दो सदस्यों (माननीय लोक सभा/ विधान सभा/ गैर स्वयं सेवा संथा के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

ज़िला परिषद एवं स्थानीय निकायो के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जिला झालावाड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड।
8. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला झालावाड को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

संयुक्त शासन सचिव  
जिला आयोजना